न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 99/2023 (GCMS NO. 2023/212)

इन्द्रपाल पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी हंसासर तहसीलमलसीसर व जिला झुन्झुनू (राज.)

– वादी

बनाम

1. संतलाल पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
2. नेमुदेवी पुत्री भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी हंसासर तहसील मलसीसरजिला झुन्झुनू
3. बलबीर पुत्र महावीर जाति मेघवाल निवासी हंसासर तहसील मलसीसर व जिला झुन्झुनू
4. रामावतार पुत्र महावीर जाति मेघवाल निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
5. बसंती देवी पत्नी महावीर जाति मेघवाल निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
6. राजबाला पुत्री महावीर जाति मेघवाल निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
7. पवन कुमार पुत्र सुरेन्द्र जाति मेघवाल निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
8. रमेश कुमार पुत्र सुरेन्द्र जाति मेघवाल निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
9. विमला देवी पत्नी सुरेन्द्र जाति मेघवाल निवासी हंसासर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू
10. रेणु पुत्री सुरेन्द्र जाति मेघवाल निवासी हंसासर तहसील मलसीसर वजिला झुन्झुनू
11. निर्मला पुत्री सुरेन्द्र जाति मेघवाल निवासी हंसासर तहसील मलसीसर व जिला झुन्झुनू
12. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय मलसीसर तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू

– प्रतिवादीगण–

वकील पक्षकारान
विद्वान अधिवक्ता वादी – मोहम्मद रशीद खान
विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी –रजिया बानो

दावा बाबत घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती

41

निर्णय

दिनांक 20.11.2024

संक्षेप में वादी की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू में भूमि हाल खाता संख्या 40 के हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 1.30 हैक्टर भूमि अवस्थित है जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। कब्जा सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इसी प्रकार वाके ग्राम चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू में भूमि हाल खाता संख्या 38 के हाल खसरा नम्बर 85 रकबा 1.30 हैक्टर, भूमि अवस्थित है जो कि प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है। कब्जा सम्बन्धी किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। ग्राम हंसासर में गीदाराम नाम का व्यक्ति हुआ। जिसके एक पुत्र नारायण हुआ। जिसका विवाह नारायणी से हुआ। इनके दोपुत्र महावीर व सुरेन्द्र हुये। नारायण के फौत होने पर गिदाराम ने भगवानाराम को गोद ले लिया तथा अपनी पुत्र वधु नारायणी का विवाह भगवानाराम से करवा दिया। भगवानाराम व नारायणी देवी के नुत्फे से दो पुत्र संतलाल व इन्द्रपाल तथा एक पुत्री नेमूदेवी हुई। वाद पत्र में वर्णित भूमि गिदाराम की थी जिसने उक्त भूमि में से वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि भगवानाराम के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी सख्या 1 व 2 को दे दी तथा वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि नारायण के वारिसान प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 11 को दे दी। जिस पर वे मौके पर अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि नारायण के वारिसान राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो गया तथा वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि 1/2 हिस्सा भूमि में भगवानाराम के वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम तथा उनकी माता नारायणी के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हो गया।वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में वादी की माता नारायणी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होते समय नारायणी पत्नी नारायण दर्ज हो गया जबकि उक्त नारायण की पहले ही मृत्यु हो चुकी थी तथाउसके बाद नारायणी ने भगवानाराम से शादी कर ली थी इसलिए राजस्व रिकार्ड में नारायणी पत्नी नारायणी की जगह भगवानाराम दर्ज होना चाहीए था। इसलिए उक्त राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त किया जाकर वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी की माता नारायाणी देवी का नाम दुरूस्त किया जाकर नारायणी पत्नी नारायण की जगह नारायणी पत्नी भगवानारामदुरूस्त किया जावे।वाद पत्र की धारा 2 में वर्णित भूमि नारायणी व नारायणी के वारिसान को दे दी गई है। जिस पर वे अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है कब्जा काश्त सम्बन्धि कोई विवाद नहीं है।वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 व 2 तथा उनकी माता नारायणी देवी को उत्तराधिकार में प्राप्त हुई है जिस पर वे काबिज काश्त है। अब वादी की माता नारायणी पत्नी भगवानाराम का स्वर्गवास हो चुका है। नारायणी देवी के स्वर्गवास होने पर उसके 1/2 हिस्सा भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 काबिज काश्त कब्जा हुये। काश्त सम्बन्धित कोई विवाद नहीं है। इसलिए वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि में नारायणी देवी का नाम

पं०1

हजफ फरमाया जाकर वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित सम्पूर्ण भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें। दिनांक 08/12/2023 को उपरोक्त वर्णित भूमि की नकल लेने पर राजस्व रिकार्ड में वादी की माता का नाम गलत दर्ज होने की जानकारी होने पर वाद पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यकहुआ। अन्त में वाद वादी डिक्री फरमाया जाकर वाद पत्र की धारा 1 में वर्णित भूमि वाके ग्राम चारणवासी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू भूमि हाल खाता संख्या 40 के हाल खसरा नम्बर 81 रकबा 1.30 हैक्टर भूमि के राजस्व रिकार्ड से वादी की माता नारायणी देवी का नाम हजफ किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवाना जारी कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में वाद पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर उजर एतराज पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11 की ओर से एडवोकेट रजिया बानो ने इकबाली जवाब दावा पेश कर मुताबिक वाद वादी स्वीकार कर डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया।

जवाबदेही पूर्ण होने पर विद्वान अधिवक्तागण की बहस श्रवण की गई। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र के तथ्यों को दोहराया तथा मुताबिक वाद पत्र वाद डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का निवेदन किया। दौराने बहस वकील प्रतिवादीगण ने मुताबिक वाद वादीदावा डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी द्वारा ग्राम चारणवासी के हाल ख0न0 81 रकबा 1.30 है0 भूमि में नारायणी देवी का नाम हजफ कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादीगण की ओर से वाद वादी स्वीकार किया जाकर मुताबिक वाद ख0न0 81 रकबा 1.30 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड से नारायणी देवी का नाम हजफ कर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/3–1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने में अपनी सहमती दी है। वकील प्रतिवादीगण की सहमति एवं समस्त तथ्यों एवं उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

41

निर्णय

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर ग्राम चारणवासी स्थित भूमि हाल ख0न0 81 रकबा 1.30 है0 भूमि के राजस्व रिकार्ड में नाराणी पत्नी नारायण का नाम हजफ किया जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 प्रत्येक को 1/3– 1/3 हिस्सा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/11/24

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मलसीसर